कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ।

संख्या 29 /ओ0एस0डी–कैम्प/2024/ 518 दिनांक 15 जुलाई 2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 09–07–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
प्रिंसिपल बैंच,
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
नई दिल्ली।
(द्वारा ई–मेल)

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष लम्बित वाद संख्या–595/2024 (IA No. 4/2024, IA No. 7/2024) में पारित आदेश दिनांक 09–07–2024 में दिये गये निर्देश के क्रम में सादर अवगत कराना हैं कि:–

क0सं0	मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दि0 09–7–24 का सारवान अंश	बिन्दुवार विवरण
बिन्दु संख्या–1	*District Magistrate, Meerut pursuant to order dated 20.03.2024 has submitted report which show that still substantial part of land is encroached by certain persons and no action has been taken for getting the encroachment removed.*	बिन्दु संख्या–1 के संबंध में मा0 हरित अधिकरण को सादर अवगत कराना है कि ग्राम नंगला गौसाई स्थित झील के खसरा संख्या 569, 571 व 572 आदि पर बंगाली परिवारों द्वारा किये गये अस्थायी अतिक्रमण को पूर्व में हटवाया गया था और झील की साफ–सफाई का कार्य भी कराया गया था। इसके अतिरिक्त झील के खसरा संख्या 572मि0 के कुछ ऊंचे समतल भाग पर वृक्षारोपण का भी कराया गया था, जिसके फोटोग्राफस् साथ में संलग्न है। झील की भूमि पर बंगाली परिवारों द्वारा किये गये स्थायी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में तहसीलदार मवाना के न्यायालय में बेदखली हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–67 की कार्यवाही प्रचलित है।
बिन्दु संख्या–2	*Learned counsel appearing for respondent 1 and 4 stated that these people have to be rehabilitated and thereafter, action for getting encroachment removed would be taken. He also stated that District Magistrate had made reference to State Government for rehabilitation and the matter is pending at their end but he could not tell the date on which District Magistrate made such reference and also since when the matter is pending before State Government and also before which authority.*	बिन्दु संख्या–2 के संबंध में सादर अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी मवाना द्वारा जिला मुख्यालय को प्रेषित की गयी आख्या में त्रुटिवश यह अंकित कर दिया गया था कि आख्या शासन को प्रेषित कर दी गयी, जबकि उप जिलाधिकारी मवाना द्वारा आख्या जिला मुख्यालय को प्रेषित की गयी थी एवं जिला स्तर पर तहसील मवाना व अन्य तहसीलों में भूमि की उपलब्धता के विषय में जांच करायी जा रही थी। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है जनपद मेरठ की मवाना तहसील का अधिकांश भाग वन अभ्यरणय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिसमें नियमतः किसी सरकारी भूमि पर आवास/कृषि आवंटन नहीं किया जा सकता। पुनर्वास के संबंध में जनपद मेरठ की दो अन्य तहसील सदर व सरधना से भी भूमि की उपलब्धता के विषय में आख्या प्राप्त की जा रही

Scanned with OKEN Scanner

		थी। यहॉ यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि बंगाली परिवारों की संख्या–76 होने या 107 होने की भिन्नता की स्थिति के संबंध में तहसील स्तर से पुनः सर्वे कराया जा रहा था। पुनः सर्वे के दौरान यह पाया गया कि कुछ परिवारों के द्वारा पुनर्वास हेतु संयुक्त परिवार में न रहकर एकल परिवार के रूप में सहमति दी गयी। पिता के बालिग पुत्र जो विवाहित है को पृथक परिवार माना गया जिस कारण कुल परिवारों की संख्या–107 होती है। उपरोक्तानुसार पुनर्वास हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में जांच कराने व बंगाली परिवारों की कुल संख्या की भिन्नता के संबंध में पुनः सर्वे कराने एवं लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 में व्यस्तता के कारण शासन स्तर पर आख्या प्रेषित करने में विलम्ब हुआ है, साथ ही पूर्व में त्रुटिवश शासन को पुनर्वास हेतु आख्या प्रेषित किये जाने का जो उल्लेख किया गया था, उसके लिए अधोहस्ताक्षरी क्षमा प्रार्थी है तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। वर्तमान में ग्राम नंगला गौसाई निवासित कुल 107 बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिये दिनांक 10–7–2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–6 लखनऊ पत्रांक 26/सात– एलआरसी/2024 द्वारा आख्या प्रेषित की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न)
बिन्दु संख्या–3	*In these facts and circumstances, we find no option but to direct District Magistrate, Meerut to appear in person on the next date i.e., 16.07.2024 and assist the Tribunal as to on which date reference for recommendation for rehabilitation has made in respect of the land which is still encroached, and also to show as to before which authority the matter is pending in the State of U.P.*	बिन्दु संख्या–3 के संबंध में सादर अवगत कराना है कि वर्तमान में ग्राम नंगला गौसाई निवासित कुल 107 बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिये दिनांक 10–7–2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–6 लखनऊ पत्रांक 26/सात– एलआरसी/2024 द्वारा आख्या प्रेषित की जा चुकी है, जो कि शासन स्तर पर लम्बित है।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

15/11/2024

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी,मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
राजस्व अनुभाग–6
लखनऊ।

संख्याः 26 /सात–एल0आर0सी0/2024 दिनांक 10–07–2024

विषयः जनपद मेरठ की तहसील मवाना स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुनर्वास हेतु अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने के लिये अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–595/2022 (IA NO-04/2024 & I.A No 07/2024) sarita singh & ors Vs state of u.p & or में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 का अनुपालन किये जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी मवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या–366/एस0टी0 मवाना/2024 दिनांक 09–07–2024 जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में हिन्दू बंगाली समुदाय के लोगों के पुनर्वास हेतु 107 परिवारों की सूची संलग्न की गयी है। चूँकि समस्त बंगाली परिवार जो ग्राम नंगला गौसाई में निवासरत है, के वन्य जीव अभ्यारण के अन्तर्गत होने के कारण किसी भी प्रकार का आंवटन किया जाना विधिक नही है। ग्राम नंगला गौसाई में निवासरत 107 बंगाली परिवारों को अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने से संबंधित सैधान्तिक (In Principal) अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

उल्लेखनीय कि पूर्व में जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक 954/सात–भूलेख/एलआरसी/2014–15 दिनांक 10–9–2015 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा जनपद मेरठ की तहसील मवाना के 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतु जिलाधिकारी कानपुर देहात से सम्यक् जांच कराते हुए यथोचित निर्णय हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या सीएम–25/एक–6–2021–वी0आई0पी0–02/2018–रा0 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय की सहर्ष स्वीकृति के क्रम में उक्त 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को ग्राम भैंसाया तहसील रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात में क्षेत्रफल 121.4160है0 भूमि जो पुर्नवास विभाग के नाम दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर उक्त परिवारों को पुनर्वासित किया गया था।

जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गौसाई में बसे 107 हिन्दू बंगाली समुदाय के परिवारों के पुर्नवास हेतु जनपद मेरठ में आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त 107 परिवारों को अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने की संस्तुति के साथ आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

10/7/2024

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner